



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44291

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7999/2026

रघुवीर सिंह और 3 अन्य

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आशुतोष त्रिपाठी, प्रद्युम्न कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/आयुक्त आगरा मंडल, आगरा को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत अपील संख्या C2022010000009972022 (सत्यपाल सिंह बनाम राजेंद्र सिंह) का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष वर्ष 2022 से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/आयुक्त आगरा मंडल, आगरा को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त अपील का निर्णय कानून के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः प्रतिवादी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर करें, लेकिन जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले की गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।